छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्र.–359/2002

1. अनास्थासिया कुजुर (मृत), न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–06–01–2014 के अनुसार विलोपित।
2. सुषमा कुजुर, पिता– स्वर्गीय बिरसाय उरांव, आयु लगभग 33 वर्ष, पेशा– नौकरी, पता– ग्राम– पटपरिया, नमनाकला, तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़।
3. प्रीतिमा कुजुर, पिता– स्वर्गीय बिरसाय उरांव, आयु लगभग 29 वर्ष, पेशा– छात्रा, पता– ग्राम– पटपरिया, नमनाकला, तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़।
4. ममता कुजुर, पिता–स्व. बिरसाय उरांव, आयु लगभग 26 वर्ष, पेशा– छात्रा, पता– ग्राम– पटपरिया, नमनाकला, तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़।

---- **अपीलार्थीगण**

विरुद्ध

1. सीता कुमारी (मृत), न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–31–07–2019 के अनुसार विलोपित।
2. अन्ना कुजुर, पिता– स्वर्गीय सोहराई, आयु लगभग 5 वर्ष (वर्तमान में लगभग 21 वर्ष) जाति– उरांव, पता–ग्राम–पटपरिया, नमनाकला, तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़।

---- **उत्तरवादीगण**

अपीलकर्तागण / प्रतिवादीगण की ओर से : श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी / वादी की ओर से : कोई नहीं।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

निर्णय बोर्ड से पारित

12/02/2020

1. यह अपील, विद्वान द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला– सरगुजा द्वारा सिविल अपील क्रमांक– 84–अ/2002 में पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 30.09.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 05.11.1999 को उलट दिया तथा वादी के वाद पर डिक्री दिया है।

2. उत्तरवादी–वादी ने स्वत्व की घोषणा और कब्जे के साथ–साथ अभिवचनों द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की मांग, अन्य बातों के साथ–साथ, करते हुए एक वाद प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त संपत्ति स्वर्गीय सोहराई के पिता भुखा उरांव की थी। बाद में, भुखा की मृत्यु के पश्चात, विवादग्रस्त संपत्ति में सोहराई एकमात्र उत्तराधिकारी बना और उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। अग्रेत्तर, वादी का मामला यह था कि वादी क्रमांक–1 सीता कुमारी का विवाह, उनकी मृत्यु से लगभग तीन साल पहले, उरांव जनजाति के रीति–रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार स्वर्गीय सोहराई से हुई थी और उनके विवाह से, वादी क्रमांक–2 अन्ना कुजुर का जन्म हुआ था। प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा जो स्वर्गीय सोहराई की चाची हैं, इस तथ्य का अनुचित लाभ उठाते हुए कि सोहराई एक देहाती ग्रामीण, कम शिक्षित था, उसके संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया गया। सोहराई की मृत्यु के समय, वादी क्रमांक–1 अपने मायके में थी जहाँ उसे उसके पति की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि उसे सूचित किए बिना, प्रतिवादी क्रमांक–1 ने सोहराई की मृत्यु पर अंतिम संस्कार किया। वादी के अनुसार, वादी क्रमांक–1 पत्नी होने के नाते और वादी क्रमांक–2 पुत्री होने के नाते सोहराई की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होने की हकदार हैं और चूंकि प्रतिवादी क्रमांक–1 स्वयं को मृतक सोहराई की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी होने का दावा कर रही है, इसलिए वाद प्रस्तुत किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी–प्रतिवादी ने विवाह के तथ्य पर विवाद कर, वादी के दावे का विरोध किया। अपने लिखित कथन में, प्रतिवादी ने इस बात से इंकार किया कि स्वर्गीय सोहराई और वादी क्रमांक 1–सीता कुमारी के बीच कोई विवाह सम्पन्न हुआ था और वादी क्रमांक 2–अन्ना कुजुर का जन्म उनके विवाह से हुआ था।

4. पक्षकारों द्वारा उठाए गए विवाद/मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद–बिन्दु विरचित किए गये :–

"1– क्या वादीगण स्व. सोहराई के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं?

2– क्या स्व. सोहराई ने वादभूमि पर प्रति. क.– 2 से 4 का स्वत्व होना स्वीकार किया था?

3– क्या विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व की भूमि है?

4– (अ) क्या वादीगण वादभूमि का कब्जा प्राप्त करते तक अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है?

(ब) यदि हां तों कितना?

5– क्या वादीगण का दावा पोषणीय है?

6– सहायता एवं व्यय?

7– क्या वादिनीगण विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारिणी है? ”

5. पक्षकारों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी क्रमांक– 1, यह साबित करने में विफल रही कि वह मृतक–सोहराई की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी या वादी संख्या 2– सोहराई और वादी क्रमांक 1–सीता कुमारी के बीच तथाकथित विवाह से पैदा हुई बेटी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से क्षुब्ध होकर, वादी द्वारा अपील की गई। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने, सीता (अ.सा.–1), नारायण शर्मा (अ.सा.–2) और लक्ष्मी प्रसाद (अ.सा.–3) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि वादी यह साबित करने में सफल रही कि वादी क्रमांक 1– मृतक सोहराई की कानूनी रूप से विवाहिता पत्नी थी और वादी क्रमांक– 2 इस विवाह से पैदा हुई बेटी थी और इस आधार पर, वादी के मुकदमे का फैसला किया गया था।

7. यह अपील इस न्यायालय द्वारा कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अधार पर स्वीकार किया गया –

“1. क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित है कि सीता कुमारी/वादी क्रमांक– 1 मृतक सोहराई की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और वादी क्रमांक– 2 मृतक सोहराई का पुत्र है और वे मृतक सोहराई की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, जबकि, अभिलेख पर उपलब्ध निर्णायक प्रकृति के स्वीकार्य साक्ष्यों को अनदेखा किया गया है?

2. क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदर्श डी–3 पर अविश्वास करना तथा उसे फ़र्जी ठहराना न्यायोचित है?"

8. सर्वप्रथम, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कानून के पहले सारवान प्रश्न के विवरण में, 'बेटी' के जगह पर गलती से 'बेटा' अंकित कर दिया गया है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है।

9. अपीलार्थीगण–प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सीता (अ.सा.–1), नारायण शर्मा (अ.सा.–2) और लक्ष्मी प्रसाद (अ.सा.–3) के साक्ष्य के आधार पर, डिक्री पारित करने में घोर विकृतता और अवैधता की है, जो विरोधाभासी होने के अतिरिक्त, वैध विवाह के प्रमाण की कानूनी आवश्यकता को पुर्ण नहीं करते हैं। उन्होंने यह तर्क दिया है कि वादी–सीता, जिसे प्रथम वादी साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया है, ने स्वर्गीय सोहराई के साथ विवाह करने का दावा किया है, उसने न तो विवाह की विशिष्ट तिथि और स्थान बताया है और न ही मृतक सोहराई के रिश्तेदारों या खुद के उन रिश्तेदारों के नाम बताए हैं जो उक्त विवाह में शामिल हुए थे। द्वितीय वादी साक्षी नारायण शर्मा (अ.सा.–2), जो विवाह में शामिल होने का दावा करते हैं, ने भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि उरांव जनजाति के प्रथाओ के अनुसार विवाह के रीति–रिवाजों का पालन कैसे और किस तरीके से किया गया था। वादी सीता कुमारी के पिता लक्ष्मी प्रसाद (अ.सा.–3) का साक्ष्य स्वयं वादी क्र.–1 और नारायण शर्मा (अ.सा.–2) द्वारा बताए गए बयानों के विरोधाभासी है। जबकि पहले दो साक्षीयो का कहना है कि सोहराई के जेल से रिहा होने के बाद विवाह संपन्न हुआ था, तीसरे साक्षी, वादी सीता के पिता ने कथन किया है कि सोहराई को जेल भेजे जाने से पहले विवाह संपन्न हुआ था। यह भी तर्क दिया गया कि इस साक्षी का साक्ष्य अत्यधिक अस्वीकार्य है क्योंकि वह विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदारों के नाम भी बताने की स्थिति में नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिव्क्ता ने इस बात पर भी जोर दिया है कि साक्षी का साक्ष्य वैध विवाह के प्रमाण की आवश्यकता को पुर्ण नहीं करता है। उरांव जनजाति पर लागू होने वाली विवाह की प्रथा का न तो विशेष रूप से तर्क किया गया है और न ही रीति–रिवाजों के अनुसार मृतक सोहराई और सीता के बीच विवाह के प्रथाओ को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत पेश किया है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और डिक्री वैध नही है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय नए दस्तावेज़ पर भरोसा कर गंभीर कानूनी त्रुटि की है, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विधि के दूसरे सारवान प्रश्न पर, अपीलार्थी–प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि समझौता (प्रदर्श डी–3) विधिवत प्रमाणित किया गया था। उक्त दस्तावेज़ को किसी भी पंजीकरण या मुद्रांकन की आवश्यकता नहीं थी। उक्त दस्तावेज से यह प्रमाणित हुआ कि मृतक सोहराई ने उक्त संपत्ति में प्रतिवादीगण के स्वामित्व को स्वीकार किया था।

11. मृतक–प्रतिवादी का कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं है, यद्यपि समाचार–पत्र में प्रकाशित करके प्रतिस्थापित तामील माध्यम के द्वारा नोटिस तामील किए गए हैं।

12. वादी का वाद मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि वादी क्रमांक 1–सीता कुमारी मृतक सोहराई की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। प्रतिवादीगण द्वारा इस तथ्य का विशेष रूप से खंडन किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1– सोहराई की चाची है और अन्य प्रतिवादी सोहराई की भतीजी हैं। उपरोक्त विशेष रूप से खंडन को ध्यान में रखते हुए, यह साबित करने का भार वादी पर था कि वादी क्रमांक 1–सीता कुमारी मृतक–सोहराई की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वादपत्र के कण्डिका–3 में यह अभिवचन किया गया है कि वादी क्रमांक– 1 सीता का विवाह सोहराय की मृत्यु से लगभग तीन वर्ष पूर्व उरांव जनजाति में प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह संपन्न कराने के मामले में, उरांव जनजाति में लागू प्रथाओं के तहत प्रचलित रीति–रिवाजों के बारे में कोई अभिवचन नहीं किया गया है। वादपत्र में बस इतना ही कथन किया गया है कि विवाह उरांव जनजाति में प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार की किया गया था। सीता (अ.सा.–1), नारायण शर्मा (अ.सा.–2) और लक्ष्मी प्रसाद (अ.सा.–3) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में भी इस बात का कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है कि विवाह सम्पन्न कराने के मामले में क्या प्रथा प्रचलित है और और विवाह किस प्रकार सम्पन्न होते हैं। सीता (अ.सा.–1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि विवाह मंडप स्थापित करके किया गया था। इसके अतिरिक्त, उसने विवाह सम्पन्न कराने में अपनाई जाने वाली अन्य कोई प्रथा या रीति–रिवाज नहीं बताया है। सीता (अ.सा.–1) स्पष्ट रूप से यह बताने में भी सक्षम नहीं है कि विवाह किस तारीख को हुई थी। उसने यह भी नहीं बताया है कि विवाह के समारोह के समय, उसके और सोहराई के कौन–कौन से रिश्तेदार मौजूद थे।

14. नारायण शर्मा (अ.सा.–2), जो सोहराई का बचपन का दोस्त होने का दावा करता है, हालांकि यह बयान देता है कि विवाह संपन्न हुआ था, पर वह यह बताने में असमर्थ है कि विवाह कब संपन्न हुआ था। उसके अनुसार, विवाह 4–5 साल

पहले संपन्न हुआ था। हालाँकि, उनका यह भी कहना है कि उरांव रीति–रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया गया था, उरांव आदिवासी समुदाय में कौन सी प्रथा प्रचलित और लागू थी और विवाह के लिए विभिन्न अनुष्ठानों में उन रीति–रिवाजों का पालन कैसे किया जाता था, इसका उल्लेख साक्ष्य में नहीं किया गया है। साक्ष्य के कण्डिका–6 में उनका कहना है कि विवाह समारोह के समय, सोहराई का कोई भी रिश्तेदार विवाह में उपस्थित नहीं था। इस साक्षी के अनुसार, विवाह के समय केवल उनके चाचा उपस्थित थे। आगे, वह यह कथन करता है कि विवाह में सुरेश और दिलबोध के पिता भी शामिल हुए थे। उसके अनुसार, विवाह में 5 से 6 लोग शामिल हुए थे।

हालांकि, तीसरा साक्षी लक्ष्मी प्रसाद (अ.सा.–3), सीता के पिता, का कथन है कि विवाह संपन्न हुई थी, उनके के अनुसार, सोहराई के जेल जाने से पहले से पुर्व विवाह संपन्न हुआ था। एक ओर सीता (अ.सा.–1) और नारायण शर्मा (अ.सा.–2) तथा दूसरी ओर लक्ष्मी प्रसाद (अ.सा.–3) द्वारा बताए गए विवाह के समय के संबंध में गंभीर विरोधाभास है। सीता (अ.सा.–1) और नारायण शर्मा (अ.सा.–2) के अनुसार, सोहराई और सीता के बीच विवाह, सोहराई के जेल से रिहा होने के 2–3 महीने बाद संपन्न हुआ था, जबकि वादी सीता के पिता लक्ष्मी प्रसाद (अ.सा.–3) के कथन के अनुसार, सोहराई के जेल जाने से पहले ही विवाह संपन्न हो गया था। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में आगे कथन किया है कि सोहराई हिंदू धर्म का पालन कर रहा था और वे भी हिंदू धर्म का पालन करते है। प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सोहराई की चाची है। उसने यह भी कथन किया है कि विवाह के समय, प्रतिवादी मौजूद नहीं थे और वे किसी दुसरी जगह गए थे। उसने आगे कथन किया है कि विवाह में, सोहराई का कोई भी रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ था, लेकिन केवल पड़ोसी ही विवाह में शामिल हुए थे और उसके अनुसार, लगभग 10–15 व्यक्ति विवाह में शामिल हुए थे। वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि किस महीने या किस मौसम में विवाह हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि विवाह के अनुष्ठान के संबंध में वादी का साक्ष्य न केवल विरोधाभास से ग्रस्त है, बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जहां किसी पक्ष को विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है, वहां उसे विशेष रूप से यह दलील देनी होती है कि विवाह के संबंध में लागू कानून क्या था? वादी के अनुसार, विवाह उरांव जनजाति के प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार किया गया था, लेकिन वह रीति–रिवाज क्या था और विवाह कैसे संपन्न किया जाता है और

कौन– कौन रस्में निभाई जाती हैं, न तो इस बारे में दलील दी गई है और न ही साक्ष्य में कहीं इसका उल्लेख किया गया है।

वैध विवाह को प्रमाणित करने के लिए, जिस पक्ष पर साबित करने का भार है, उसे, सर्वप्रथम, यह साबित करना आवश्यक है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय कानून के अनुसार विवाह की प्रथाएँ क्या हैं, चाहे वह प्रथागत कानून हो या अन्य और फिर ठोस और निर्णायक सबूत पेश करना चाहिये कि विवाह लागू रीति–रिवाजों के तहत रस्मों और प्रथाओं का पालन करते हुए किया गया था। इनमें से किसी भी आवश्यक तथ्यों को वादी के द्वारा अपने साक्ष्य से साबित नहीं किया गया था। इसलिए, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना न्यायोचित नही था कि वादी क्रमांक– 1 सीता और मृतक सोहराई के बीच एक वैध विवाह था।

16. वादी ने स्वयं अपने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया है कि वादी क्रमांक– 2 का जन्म जुलाई, 1994 में हुआ था। वादी के कथन के अनुसार, सोहराई को फरवरी, 1994 में जेल से रिहा किया गया था और वादी के साक्ष्य के अनुसार, उसके दो से तीन महीने बाद विवाह सम्पन्न हुआ था। इसका अर्थ है कि जुलाई 1994 में बच्चे का जन्म, किसी भी तरह से, सीता के साथ सोहराई के विवाह से हुआ कहा जा सकता है, जो वादी के अनुसार बच्चे के जन्म से कुछ महीने पहले हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दावा की गई विवाह की तिथि और वादी क्रमांक–2 की जन्म तिथि के संबंध में उपरोक्त निर्णायक साक्ष्य पर विचार करने पर अनदेखी की है। प्रतिवादीगण ने सुंदर (वा.सा.–2) के पिता हरी के साक्ष्य को पेश किया है, जो दावा करता है कि सीता का विवाह 7–8 साल पहले अर्थात वर्ष 1992 में हरि के साथ हुई थी। यहां तक कि इस साक्ष्य पर भी विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा ठीक से विचार नही किया गया और इसे नजर अंदाज कर दिया गया।

18. विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी कतिपय प्रमाण पत्रों पर भरोसा किया है जो वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश XIII नियम 2 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्तुत दस्तावेज़ को कानून के तहत निर्धारित तरीके से साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे पक्ष को इसका खंडन करने का अवसर नहीं दिया जाता है और न ही वादी के मामले के समर्थन में उक्त दस्तावेज़ पर कोई भरोसा किया जा सकता है

कि वादी की विवाह सोहराई से हुआ था। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया गया था।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होना दर्शित है। अतएव, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और डिक्री को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

20. तदानुसार, विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं था कि सीता (वादी क्रमांक–1) मृतक–सोहराई की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी और वादी क्रमांक–2 मृतक–सोहराई का पुत्र है और वे मृतक–सोहराई की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं।

21. उपरोक्त चर्चा और विचार को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए विधि के दूसरे सारवान प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकृत की जाती है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है और विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है।

23. पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वय वहन करेंगे ।

24. अपीलीय डिक्री तैयार की जाए ।

सही /–
(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**